सं0फा॰ 1(11)-संस्था॰ III(ख)/75

भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

(व्यय विभाग)

नई दिल्ली, 15 नवम्बर, 1976

<u>कार्यालय ज्ञापन</u>

विषयः- केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों का सरकार के दूसरे विभागों, कम्पनियों, निगमों आदि में स्थानान्तरण - प्रतिनियुक्ति (ड्यूटी) भत्ता ।

.....

किसी सरकारी कर्मचारी की सरकारी क्षेत्र के किसी उपक्रम में प्रतिनियुक्ति की अवधि इस संबंध में, सरकारी उद्यम कार्यालय द्वारा मंत्रालयों को जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित की जानी होती है । यह स्थिति इस मंत्रालय के 10 अगस्त, 1972 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन की मद (x) के अंतर्गत स्पष्ट की गई थी । इसके बावजूद भी यह देखने में आया है कि प्रशासनिक मंत्रालय/विभाग ऐसे कर्मचारियों की इतर सेवा की अवधि को इस संबंध में मंत्रालय के 27 जनवरी, 1970 के इसी संख्या के कार्यालय ज्ञापन में की गई परिकल्पना के अनुसार विनियमित करते रहते हैं । ऐसा करना, इस विषय पर, सरकारी उद्यम कार्यालय के आदेशों के अनुरूप नहीं है ।

इसलिए यह फिर स्पष्ट किया जाता है कि किसी सरकारी कर्मचारी की सरकारी क्षेत्र के उपक्रम में प्रतिनियुक्ति की अवधि को उक्त कार्यालय द्वारा समय-समय पर यथासंशोधित सरकारी उद्यम कार्यालय के 26-2-69 के का0 ज्ञा0 सं0 2(57)/68-बी0पी0ई0(जी॰एम॰) में दिए गए आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाना चाहिए । सरकारी उद्यम कार्यालय के उपर्युक्त अनुदेशों में दी गई विनिर्दिष्ट अवधि से ऊपर किसी प्रकार की वृद्धि करने के लिए, सरकारी उद्यम कार्यालय के 22-9-72 के कार्यालय ज्ञापन सं0 2(95)/75-बी॰पी॰ई॰ (जी॰एम-1) के अंतर्गत मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति की पूर्व अनुमति की आवश्यकता होगी । प्रशासनिक मंत्रालयों/विभागों को सलाह दी जाती है कि उपर्युक्त अनुदेशों को भविष्य में कड़ाई से पालन करने के लिए नोट किया जाए ।

केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों में प्रतिनियुक्ति पर गए भारतीय लेखा-परीक्षा तथा लेखा विभाग के अधिकारियों के मामले में उधार-कर्ता प्राधिकारी को उक्त कार्यालय के 22-9-72 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की शर्तों के अनुसार विनिर्दिष्ट अवधि से ऊपर अवधि को बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति के पास जाने से पहले नियंत्रक तथा महालेखा-परीक्षक की भी सहमति प्राप्त करनी चाहिए ।

इससे इस मंत्रालय के 7-11-75 के कार्यालय ज्ञापन सं0फा॰ 1(11)-संस्था॰ III(ख)/75 के पैरा 93 का अधिलंघन हो जाता है ।

S. C. Chittani

(एस0 सी0 चौरानी)

उप सचिव, भारत सरकार

सेवा में

भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग (अंग्रेजी पाठ में दी गई सूची के अनुसार) ।